भा.कृ.अनु.प–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,

बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर रोड़,बीकानेर, राजस्थान –344 006

क्रमांकः 3(45)बीके/2012/खण्ड.4/ दिनांकः 07.05.2018

निविदा प्रपत्र सूची

1. भरे हुये निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : दिनांक 29.05.2018 दोपहर बाद 1.00 बजे तक
2. निविदा खोलने की अन्तिम तिथि : दिनांक 29.05.2018 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अमानत राशि : रू. 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र)
4. निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन
5. निविदा शुल्क : निःशुल्क

संस्थान प्रक्षेत्र में सिंचित क्षेत्रों के लिए वर्षभर चारा प्रदान करने वाली दाने की फसलों की बुवाई सम्पूर्ण चारा संस्थान का व दाने में हिस्सा पद्धति प्रतिशत पर करने के लिए अनुबंध

क्र. सं.	क्षेत्र	फसल	दाने में संस्थान का हिस्सा	दाने में ठेकेदार का हिस्सा
1.	**डिग्गी वाले क्षेत्र में लगभग 15–20 हैक्टर क्षेत्र में**			
(अ)	नहरी सिंचित क्षेत्र में खरीफ फसल लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र	ग्वार, मोठ एवं मूंग		
(ब)	नहरी सिंचित क्षेत्र में रबी की फसल लगभग 15 हैक्टेयर क्षेत्र	चना, जौ एवं गेहूं		
2.	मारवाडी सेक्टर से आगे कानासर साइड तक के लगभग 25–30 हैक्टयर नहरी सिंचित क्षेत्र	मोठ, ग्वार, चना, मूंग, जौ एवं गेहूं		

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शाये गए हिस्से पर संस्थान में हिस्सा पद्धति पर खेती का कार्य सम्पन्न करवाने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा उक्त दर्शायी गई हिस्से पर संस्थान में हिस्सा पद्धति पर खेती करूँगा तथा मैं प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा। यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त खेती के कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप अधिकतम हिस्से दाता अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से खेती के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ---------

हस्ताक्षर ठेकेदार ------------------------------

पूरा पता------------------------------------

मोबाईल नं_------------------------------

भा.कृ.अनु.प–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,

बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर रोड़,बीकानेर, राजस्थान –344 006

क्रमांकः 3(45)बीके / 2012 / खण्ड.4 / दिनांकः 07.05.2018

निविदा की नियम एवं शर्तें

संस्थान प्रक्षेत्र में सिंचित क्षेत्रों के लिए वर्षभर चारा प्रदान करने वाली दाने की फसलों की बुवाई हिस्सा पद्धति पर करने के लिए सम्पूर्ण चारा संस्थान का व दाने में अधिकतम हिस्सा दाता से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

नियम व शर्ते

1. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र / संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूची में दर्शाया गया है)। **निविदा संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम क्रय अनुभाग में दिनांक 29.05.2018 तक समय 1.00 बजे (दोपहर बाद) तक टेण्डर बॉक्स में डालना होगा।** सशर्त, तथा देरी से प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। **ठेकेदार को पहचान के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि की सत्यापित प्रति** प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निविदा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

2. निविदादाता को निविदा के साथ अरनेस्ट राशि रू.5,000 (रूपये पांच हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष देय हो संलग्न करना होगा। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। बिना अरनेस्ट राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3. सफल निविदादाताको कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार धरोहर राशि रू.20,000 जमा करानी होगी। धरोहर राशि अनुबन्ध सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि को जब्त कर की जाएगी।

4. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से दो वर्ष तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है। यदि उक्त अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो धरोहर राशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

5. उगाई गई फसलों से प्राप्त चारा पूरा संस्थान का होगा तथा स्वीकृत निविदा के अनुसार दाने में संस्थान की हिस्सेदारी होगी। ठेके में दी गई फसलों के अलावा कोई अन्य फसल की बुवाई करने की अनुमति नहीं होगी।

6. ठेकेदार को आवंटित क्षेत्र में पाला, सेवण, घामन घास की कटाई करनी होगी। जिसका 30 प्रतिशत हिस्सा संस्थान को देना होगा।

7. ठेकेदार को बुवाई फेंसिंग से 20 फुट छोड़कर करनी होगी। ताकि सुरक्षा के लिए गश्त की जा सके। बुवाई से सम्बन्धित सभी संसाधन जैसे बीज, खाद, छोटे व बडे कृशि यन्त्र, ट्रेक्टर इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी। संस्थान निविदा प्रपत्र सूची में दर्शाई गई सुविधाएं उपलब्ध कराने को बाध्य नहीं है।

8. नहर के पानी के उपयोग में सिंचाई जल का बिल संस्थान वहन करेगा। नहर के खालों की सफाई नियमित रूप से ठेकेदार को करनी होगी। खालों की छोटी–मोटी टूट–फूट की मरम्मत ठेकेदार को करनी होगी। निर्माण सामग्री संस्थान उपलब्ध कराएगा।

9. फसल की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, सिर्फ संस्थान सीमित मात्रा में ही उपलब्धता होने पर पाला झांसडी या फेंसिंग सामग्री उपलब्ध करवा सकता है।

10. ठेकेदार द्वारा बोई गई किसी भी फसल एवं किसी भी क्षेत्र में संस्थान द्वारा फल अथवा चारे वाले पेड़ों की रोपाई कराई जा सकती है जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

11. ठेके के दौरान ठेकेदार अथवा उसके व्यक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार की संस्थान सम्पति की क्षति के लिए उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा।

12. दाने का हिस्सा करने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। सम्पूर्ण चारा व संस्थान के हिस्से के दाने को ठेकेदार को निर्धारित स्थान पर पहुँचाना होगा। इसके लिए ट्रेक्टर एवं ट्रॉली संस्थान से उपलब्ध कराई जाएगी।

13. बिजली, पानी का उपयोग केवल सिंचाई के लिए करने की ही अनुमति होगी। इसके अलावा केवल एक बल्ब व पंखा उपयोग किया जा सकता है। जिसका बिल संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा, परन्तु यदि ठेकेदार द्वारा बिजली का अन्यथा उपयोग किया जाता है तो प्रभागाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित किया जुर्माना भरना होगा। जो ठेकेदार को मान्य होगा।

14. कार्य ठेका मिलते ही तुरन्त प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग के निर्देशानुसार शुरू करना होगा। पेटी ठेका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर प्रक्षेत्र अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

16. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार / उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता / क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी। ठेके की अवधि में कार्य के दौरान लगाए जाने वाले श्रमिकों का परिश्रमिक भुगतान श्रमिक नियमों के अनुसार करना होगा।

17. रू. 100 / – के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध का इकरारनामा पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर स्वयं के खर्चे पर कार्यालय में जमा कराना होगा अन्यथा जमा सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा अनुबंध भी निरस्त कर दिया जाएगा।

18. संस्थान के प्रभागाध्यक्ष को बिना कारण बताए कोई भी ठेका / निविदा स्वीकार करने / रद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी कय एवं भण्डार

मैने पूर्ण होश हवास में नियम एवं शर्तें पढ एवं समक्ष ली हैं, और मुझे स्वीकार हैं।

हस्ताक्षर ठेकेदार ——————————